1318 hours

MATTERS UNDER RULE 377

Re: Need for delimitation of Parliamentary constituencies

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : महोदय, देश भर में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उनमें पहले की अपेक्षा अब काफी विमताएं हो गयी हैं। मतदाता की दृटि से कोई संसदीय क्षेत्र अत्यधिक बड़ा है तो कोई संसदीय क्षेत्र काफी छोटा है। इसलिए सरकार को तुरन्त सभी संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यवाही आरंभ कर देनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा संसदीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो सांसद निधि दी जाती है, वह संसदीय क्षेत्रों की असमानताओं के कारण कहीं पर तो ठीक रहती है लेकिन जिन संसदीय क्षेत्रों में 20-20, 25-25 लाख मतदाता हैं वहां पर काफी कम रहती हैं। इससे मतदाताओं में भी रोा व्याप्त होता है और एक सांसद के लिए यह भी काफी कठिन काम है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के 20, 25 लाख मतदाताओं को संभाल सकें।

इसलिए यह आवश्यक है कि गृह मंत्रालय संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए तुरन्त सदन में विधेयक पेश करे तथा उसको पारित कराकर यह कार्य आरम्भ किया जाये । इसके लिए जनसंख्या गणना का इंतजार नहीं करना चाहिए। पिछले आधार पर ही परिसीमन का कार्य आरम्भ करना चाहिए, जब नई जनसंख्या गणना आये तब इसको अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(इति)